



## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 433 / अका. / 2006

रायपुर, दिनांक : 2 / 02 / 2006

### ॥ अधिसूचना ॥

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 14 सन् 2005) के द्वारा मूल अधिनियम की धारा-4 (पच्चीस), धारा-19 (एक), धारा-20, 21, 22 का लोप किया गया है। तदनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 3054/अका./2002, दिनांक 23.08.2002 द्वारा गठित "विश्वविद्यालय सभा" का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 4340 / अका. / 2006

रायपुर, दिनांक : 2 / 02 / 2006

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को।
2. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
3. कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को।
4. विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 3054/अका./2002, दिनांक 23.08.2002 द्वारा गठित सभा के पूर्व सदस्यों को।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
6. समस्त विभाग प्रमुख, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव